गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एंव प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय

पन्तनगर फार्म पोस्ट–हल्दी

जिला–ऊधम सिंह नगर, पिन–263146

निविदा–प्रपत्र

निविदा सं0:	:	निविदा शुल्क ₹ 500.00 प्रति निविदा+18% जी0एस0टी0 अतिरिक्त
निविदा प्रपत्र फार्म मुख्यालय से प्राप्त करने की अन्तिम तिथि व समय	:	दिनांक 12.02.2021 से 04.03.2021 सांय 4.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि, समय एवं स्थान	:	दिनांक 05.03.2021 अपरान्ह् 1.00 बजे तक, फार्म निदेशालय हल्दी
निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि, समय एवं स्थान	:	दिनांक 05.03.2021 अपरान्ह् 3.00 बजे फार्म निदेशालय हल्दी

विश्वविद्यालय फार्म के मटकोटा/बेनी प्रक्षेत्र पर उपलब्ध आम, लीची के बागों की फलत की बिक्री करने हेतु दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 तक (एक सीजन) के लिए लाइसेंस शुल्क पर देने हेतु दरें प्रति हैक्टेयर दर्शानी होगी।

			पेंड़ों की लगभग संख्या		दर (₹/प्रति बाग) एक सीजन	
क्र0 सं0	लॉट सं0	बाग/खेत संख्या		कुल क्षेत्रफल (है0 में)	अंको में	शब्दो में
1.	1	10–15 आम बाग	941 आम	13.20		
2.	2	'टी' खण्ड बेनी लीची/आम बाग	197 लीची, 9 आम	5.60		

मैंने निविदा की शर्तों का अध्ययन कर लिया है व सभी शर्तें मुझे मान्य है। धरोहर धनराशि ₹ ..... बैंक ड्राफ्ट संख्या ..... दिनांक ..... वि0वि0 फार्म लेखा हल्दी के नाम भारतीय स्टेट बैंक/यूको बैंक पन्तनगर / हल्दी, पंजाब नेशनल बैंक पन्तनगर, नैनीताल बैंक नगला पर देय संलग्न कर दिया है।

संलग्नक: परिशिष्ट I

बैंक ड्राफ्ट सं0 .....

दिनांक .....

धनराशि ₹.....

निविदादाता के हस्ताक्षर .....

पूरा नाम .....

पिता का नाम .....

ग्राम व पो0 .....

तह0 .....जनपद .....

पिन.....दूरभाष .....

9/2/21

निविदा जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

निविदादाता के हस्ताक्षर

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एंव प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
पन्तनगर फार्म पोस्ट–हल्दी
जिला–ऊधम सिंह नगर, पिन–263146

निविदा–शर्तें

पन्तनगर विश्वविद्यालय फार्म के मटकोटा/बेनी प्रक्षेत्र पर उपलब्ध आम, लीची के बागों के फलत की विक्री हेतु वाह्य ठेकेदार/एजेन्सी को लाइसेंस शुल्क के आधार पर दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 तक (एक सीजन) के लिए दिए जाने हेतु निविदा/अनुबन्ध की शर्तें :–

1.(अ) निविदा के अनुरूप सफल निविदादाता अनुबन्ध के अनुसार द्वितीय पक्ष होंगे तथा नियंत्रक गो0ब0पन्त एवं कृषि प्रौ0 विश्वविद्यालय पन्तनगर प्रथम पक्ष होंगे।

(ब) निर्धारित निविदा प्रपत्र फार्म मुख्यालय, पो0 हल्दी, जिला–ऊधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड) से ₹ 500.00 (₹ पांच सौ मात्र) +18% जी0एस0टी0 अतिरिक्त की जमा रसीद/बैंक ड्राफ्ट पर दिनांक 12.02.2021 से दिनांक 04.03.2021 तक अपरान्ह् 4.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है डाक द्वारा निविदा प्रपत्र किसी भी दशा में भेजना संभव नहीं होगा।

2. यह है कि द्वितीय पक्ष द्वारा एक से अधिक निविदा एक ही लॉट के लिए स्वीकार नहीं की जायेगी।

3. यह है कि किसी भी परिस्थिति में कोई सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।

4. (अ) यह है कि द्वितीय पक्ष द्वारा निविदा को लिफाफें में बन्द करके जो मुख्य महाप्रबन्धक, फार्म गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एंव प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर, हल्दी को सम्बोधित करना होगा। निविदाओं को फार्म मुख्यालय में रक्षित पेटी में दिनांक 05.03.2021 अपरान्ह् 1.00 बजे तक स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अथवा डाक/स्पीड पोस्ट से प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। नियत तिथि एवं समय के बाद अथवा डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त होने वाली निविदायें स्वीकार नहीं की जायेंगी। उपरोक्तानुसार प्राप्त निविदायें दिनांक 05.03.2021 को अपरान्ह् 3.00 बजे उपस्थित द्वितीय पक्षों के समक्ष समिति द्वारा खोली जायेंगी। एक निविदा के साथ एक द्वितीय पक्ष अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि ही उपस्थित हो सकते है तथा निविदा डालने का प्रमाण प्रस्तुत करने के उपरान्त ही उनको प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। निविदाओं के खोले जाने के समय वि0वि0 फार्म मुख्यालय परिसर में किसी भी प्रकार का अस्त्र/शस्त्र ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा एवं द्वितीय पक्षों को अपने मोबाइल बन्द रखने होंगे।

(ब) यह है कि द्वितीय पक्ष को निविदा के साथ पैन नं0 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति भी संलग्न करना आवश्यक होगा।

5. यह है कि विश्वविद्यालय फार्म के मटकोटा/बेनी प्रक्षेत्रों पर उपलब्ध बागों के फलत की विक्री हेतु निविदा की दरें प्रक्षेत्र की लॉटवार अलग–अलग देनी होगी। भूमि के जो लॉट बनाये गये हैं उसी के अनुसार प्रत्येक लॉट के लिए प्रति हैक्टेयर दर दर्शानी होंगी। द्वितीय पक्ष को निविदा पत्र एंव उसके साथ संलग्न नियम व शर्तो पर हस्ताक्षर कर निविदा के साथ अनिवार्य रुप से जमा करना होगा। प्रत्येक लॉट के लिए द्वितीय द्वारा प्रस्तुत उच्चतम दर पर निर्णय लॉटवार होगा। द्वितीय पक्ष को दरें अंको एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से निविदा प्रपत्र में धनराशि अंकित करनी होगी।

6. यह है कि द्वितीय पक्ष को निविदा प्रपत्र के साथ धरोहरा धनराशि के रूप में ₹ 50,000.00 (वापसी योग्य) केवल बैंक ड्राफ्ट जो **(विश्वविद्यालय फार्म खाते के नाम** भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक हल्दी/पन्तनगर या नैनीताल बैंक नगला पर देय हो) के माध्यम से संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना धरोहर राशि के कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा स्वीकृत नहीं होने की स्थिति में धरोहर राशि 15 दिन में वापस कर दी जायेगी। सफल द्वितीय पक्ष द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि का समायोजन भूमि शुल्क के विरुद्ध नहीं किया जायेगा। धरोहर राशि अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के बाद भूमि या खेत खाली कर पूर्व स्थिति में कब्जा देने तथा अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त एक माह के अन्दर वापस कर दी जायेगी। धरोहर राशि पर विश्वविद्यालय फार्म द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

7. यह है कि किसी भी निविदा को बिना कारण बतायें स्वीकृत/अस्वीकृत/अंशतः स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय के कुलपति को होगा।

8. यह है कि विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय फार्म के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके पारिवारिक सदस्यों को निविदा प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा।

9. यह है कि द्वितीय पक्ष द्वारा निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व खण्ड अधीक्षकों/सहायक/उप निदेशकों से सम्पर्क कर सम्बन्धित बागों एवं क्षेत्रफल का निरीक्षण कर सकतें है। उसके उपरान्त बागों एवं भूमि के समबन्ध में या पानी की उपलब्धता या कोई अन्य आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।

10. यह है कि शुल्क पर दी जाने वाले बागों एवं भूमि का पूर्ण विवरण जैसे प्लॉट संख्या, खण्ड का नाम, क्षेत्रफल है0 में, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न रहेगा।

11. यह है कि बागों/भूमि लाइसेंस शुल्क पर दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 तक की अवधि अथवा बागों के फलत हेतु उपलब्ध कराये जाने की तिथि जो पहले हो, की अवधि के लिए दी जायेगी।

क्रमशः 2

12. यह है कि द्वितीय पक्ष द्वारा ली गई भूमि से सम्बन्धित सिंचाई विभाग द्वारा अगर आवपाशी (Irrigation Charges) मांगी जाती है तो वह द्वितीय पक्ष द्वारा विश्वविद्यालय को अलग से देय होगी। अर्थात् उक्त धनरशि ठेके की धनराशि के अतिरिक्त होगी। फार्म पर उपलब्ध सिंचाई के साधनों का प्रयोग मुख्य महाप्रबन्धक फार्म की पूर्व अनुमति एंव निर्धारित शुल्क जो विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत दरों पर होगा अलग से जमा करने पर ही उसका उपयोग किया जा सकेगा। सिंचाई की सुविधा देना तभी सम्भव होगा जब विश्वविद्यालय को अपने खेतों में सिंचाई के साधन की आवश्यकता न हो परन्तु विश्वविद्यालय सिंचाई के साधनों को उपलब्ध कराने हेतु बाध्य नहीं होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा अपने स्तर पर भूमिगत जल का उपयोग सिंचाई हेतु किये जाने की दशा में कुल लाइसेंस शुल्क का 0.5 प्रतिशत भुगतान लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त द्वितीय किस्त के साथ किया जाना अनिवार्य होगा।

13. यह है कि निविदा स्वीकृत होने के बाद द्वितीय पक्ष को अनुबन्ध निष्पादित करने से पूर्व स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के प्रमाणित फोटो, राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित, संबंधित जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण–पत्र तथा अपने मूल निवास के पुलिस स्टेशन/जिलाधिकारी द्वारा निर्गत स्वयं का चरित्र प्रमाण–पत्र (जो कि छह माह से अधिक पुराना नहीं हो) जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त मूल निवास प्रमाण–पत्र, लाइसेंस पर दी गयी भूमि पर कार्यरत लाइसेंसी के अधीनस्थ कर्मियों/श्रमिकों का चरित्र सत्यापन प्रमाण–पत्र जमा करना होगा एवं अपने सभी कर्मचारियों का पंजीकरण कराकर प्रक्षेत्र कार्यालय से पहचान पत्र प्राप्त करना होगा। बिना पहचान पत्र के लाइसेंसी के किसी कर्मी का फार्म प्रक्षेत्र में प्रवेश वर्जित होगा। सफल द्वितीय पक्ष को भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप धनराशि जमा करनी होगी।

14. यह है कि द्वितीय पक्ष (निविदादाता) को सम्पूर्ण धनराशि निम्नवत् जमा करनी होगी:–

अ– सफल निविदादाता को उच्चतम् निविदा धनराशि का 40 प्रतिशत् धनराशि (प्रथम किश्त) अग्रिम के रूप में निविदा खोले जाने वाले दिन ही जमा कराना होगा। इस धनराशि में पहले जमा की गयी धरोहर धनराशि ₹ 50,000.00 के बैंक ड्राफ्ट में समायोजित नहीं किया जायेगा। यदि सफल निविदादाता 40 प्रतिशत् की धनराशि जमा करने में असफल रहता हो तो उसके द्वारा पूर्व में जमा की गयी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

ब– सफल निविदादाता को स्वीकृति पत्र निर्गत होने के 15 दिन के अन्दर अथवा बाग का कब्जा लेने से पूर्व उच्चतम निविदा धनराशि का 40 प्रतिशत् (द्वितीय किश्त) जमा करनी होगा तथा शेष 20 प्रतिशत् की धनराशि फल तोड़ने से पूर्व जमा करनी होगा।

स– *किश्त की कुल धनराशि RTGS /बैंक ड्राफ्ट के माध्यम् से विश्वविद्यालय फार्म खाते में जमा करानी होगी। नकद धनराशि स्वीकार्य नहीं होगी।*

द–यदि है द्वितीय पक्ष किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश किसी भी किश्त का भुगतान नियत तिथि तक करने में असमर्थ रहता है तो उसके लिखित अनुरोध पर मुख्य महाप्रबन्धक फार्म द्वारा विचारोपरान्त नियत अवधि में अधिकतम 15 दिन की वृद्धि की जा सकती है परन्तु इसके लिए सफल निविदादाता को देय राशि पर 20 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलम्ब शुल्क का भुगतान करना होगा।

य– द्वितीय को लाइसेंस स्वीकृत होने व किश्त का भुगतान करने के बाद सम्बन्धित बाग की कुल धनराशि का 10 प्रतिशत् सुरक्षा धनराशि विश्वविद्यालय फार्म में जमा करनी होगी, जो प्रथम पक्ष को लाइसेंस अनुबन्ध की समाप्ति एवं अदेय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त वापस की जायेगी।

र–यह है कि द्वितीय पक्ष द्वारा निविदा स्वीकृत प्रपत्र निर्गत होने की तिथि से निश्चित की गयी तिथि तक सम्पूर्ण धनराशि इस कार्यालय में जमा नहीं करायी जाती है तो विश्वविद्यालय फार्म को निविदा के साथ जमा की गयी धरोहर राशि को जब्त करने एवं निविदा स्वीकृत प्रपत्र निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

ल–यह है कि यदि लाइसेंस शुल्कदाता उपरोक्त शर्तों के अनुरूप पैसा जमा नहीं कराता है तो सफल द्वितीय पक्ष को उपरोक्त बागों से प्राप्त होने वाली फलत को तोड़ने एवं उसकी निकासी पर रोक लगाने का पूर्ण अधिकार होगा। यदि इस कार्यवाही से किसी प्रकार के फसल की क्षति होती है तो उसका उत्तरदायित्व सफल द्वितीय पक्ष का होगा।

व– *यह है कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त वर्णित शर्तों के अनुरूप निश्चित अवधि में लाइसेंस शुल्क की धनराशि जमा नहीं करता है तो विश्वविद्यालय फार्म द्वारा लाइसेंस शुल्क पर दी गयी बाग का लाइसेंस समाप्त करने हेतु विधिक नोटिस दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी एवं सम्बन्धित बाग/भूमि पर तत्काल प्रभाव से जो है जैसा है की स्थिति के साथ विश्वविद्यालय फार्म द्वारा स्वतः ही कृषि कार्य सम्पन्न करा दिया जायेगा।*

15. यह है कि द्वितीय पक्ष को बागो के फलत की बिक्री प्राप्त करने हेतु वित्त नियंत्रक के साथ ₹ 100.00 के नानजुडिशयल स्टॉम्प पेपर पर एक अनुबन्ध निष्पादित करना होगा तथा उसे नोटरी से सत्यापित कराना होगा। यह अनुबन्ध निविदा स्वीकृत होने पर सफल द्वितीय पक्ष एंव वित्त नियन्त्रक, विश्वविद्यालय पन्तनगर के मध्य होगा एवं कार्य करने से पूर्व अनुबन्ध प्रपत्र को रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकृत कराया जायेगा और पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही निविदादाता द्वारा करायी जायेगी। अनुबन्ध पूर्ण न कराने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी व ठेका स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा सफल द्वितीय पक्ष को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

16. यह है कि द्वितीय पक्ष को उक्त बागों/भूमि की जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई, सुरक्षा, चौकीदारी आदि सभी कृषि कार्यों की व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी। भू–खण्ड में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग निर्धारित शुल्क पर किया जा सकेगा तथा उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त विश्वविद्यालय लाइसेंसी को कोई अन्य सुविधा प्रदान करने अथवा नयी सुविधा का सृजन करने के लिए बाध्य नहीं होगा। सफल द्वितीय पक्ष द्वारा लाइसेंस पर दिए गए बाग आवंटित भूमि में अथवा आस–पास विश्वविद्यालय फार्म की अन्य भूमि में किसी भी दशा में कृषि कार्य के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का व्यवसायिक कार्य यथा खोखा लगाना, जानवर पालना आदि कार्य नहीं किया जायेगा। ऐसा होने की दशा में 15 दिन का नोटिस देने के उपरान्त लाइसेंस निरस्त कर जमा सुरक्षा धनराशि एवं अन्य धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

क्रमशः.....3

17. यह है कि सफल द्वितीय पक्ष द्वारा बागों में खड़े किसी भी वृक्ष का कटान नहीं किया जायेगा और न ही उनकी टहनियॉ इत्यादि की छटाई, कटाई की जायेगी तथा लाइसेंसी द्वारा उक्त बागों में विश्वविद्यालय फार्म की अनुमति के बिना किसी प्रकार का कृषि रसायन/खाद का प्रयोग नहीं किया जायेगा तथा द्वितीय पक्ष द्वारा स्पष्ट रूप से लिखित रूप में अग्रिम में यह अवगत कराना होगा कि वह किस रसायन/खाद का प्रयोग करना चाहता है। फार्म प्रशासन द्वारा सुझायें गये रसायन/खाद एवं कीटनाशक, फफूँदीनाशक दवाईयों का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।

18. यदि है द्वितीय पक्ष द्वारा प्रयोग में लायी गयी कृषि रसायन या उर्वरक से यदि कोई बाग का वृक्ष सूखता है अथवा उसके प्रयोग से उसकी पैदावार प्रतिकूल असर पड़ता है तो उसकी क्षतिपूर्ति जिसका आंकलन विश्वविद्यालय फार्म द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा। उसका सम्पूर्ण हर्जा–खर्चा सफल द्वितीय पक्ष से वसूल किया जायेगा।

19. यह है कि सफल द्वितीय पक्ष/लाइसेंसी अथवा उसका कोई भी कर्मचारी विश्वविद्यालय नियमों के विरूद्ध कोई कार्य नहीं करेगा। यदि लाइसेंसी अथवा उसका कोई कर्मचारी किसी असामाजिक व गैरकानूनी कार्य में लिप्त पाया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में धरोहर राशि एवं अन्य जमा धनराशि जब्त करते हुए लाइसेंस को निरस्त कर आपके द्वारा उत्पादित फसल को जब्त कर लिया जायेगा। कृषि कार्य किये जाने वाली भूमि को विश्वविद्यालय फार्म द्वारा वापस ले लिया जायेगा।

20. यह है कि सफल द्वितीय/लाइसेंसी को विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय फार्म के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी/श्रमिक को सेवायोजित करने का अधिकार नहीं होगा। अनाधिकृत नियोजन की स्थिति में विश्वविद्यालय को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति लाइसेंसी को करनी होगी।

21. यह है कि लाइसेंस पर दी गयी बाग की भूमि अथवा उसके किसी भाग की विश्वविद्यालय फार्म को आवश्यकता होती है तो ऐसी दशा में एक माह का लिखित नोटिस देने के बाद अनुबन्ध को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से निरस्त किया जा सकता है एवं तदनुसार भूमि शुल्क की भुगतान की गयी राशि का समायोजन करते हुए शेष राशि, यदि कोई हो, तथा खड़ी फसल के मूल्य (तकनीकी समिति के आंकलन के अनुसार) का भुगतान लाइसेंसी को कर दिया जायेगा।

22. यह है कि सफल द्वितीय पक्ष को लाइसेंस की अवधि में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित रास्तों का उपयोग बिना कोई क्षति पहुँचाये करना होगा। मशीनों आदि के लाने–ले जाने से रास्ते क्षतिग्रस्त होने की दशा में उनकी मरम्मत आदि का व्यय तकनीकी समिति के आंकलन के आधार पर लाइसेंसी को करना होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा फार्म के अन्दर अथवा बाउण्ड्री के बाहर नये रास्ते द्वारा कोई उत्पाद/अन्य सामग्री नहीं ले जाया जायेगा तथा जो रास्ते फार्म द्वारा निर्धारित है, उन्हीं रास्तो का प्रयोग करना होगा।

23. यह है कि लाइसेंस पर दी गयी भूमि पर/आस–पास यदि पहले से ही विश्वविद्यालय फार्म के श्रमिकों की झोपड़ियां है तो लाइसेंसी को उन्हें हटाने का अधिकार नहीं होगा।

24. यह है कि सफल द्वितीय पक्ष द्वारा किसी भी प्लाट का क्षेत्रफल नहीं बदला जायेगा एंव पक्की या कच्ची सड़के काटकर कृषि योग्य भूमि में नहीं बदली जायेगी।

25. यह है कि सफल द्वितीय पक्ष को लाइसेंस शुल्क पर दिए गए बाग पर किसी भी प्रकार की कोई फसल का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। सफल द्वितीय पक्ष को बाग की फलत को बेचने/परिसर से बाहर ले जाने से पूर्व फार्म प्रशासन से स्वीकृति लेनी होगी तथा संबंधित अधिकारी से गेट पास प्राप्त करना होगा।

26. यह है कि सफल द्वितीय पक्ष द्वारा प्रक्षेत्र में किसी प्रकार का स्थाई निर्माण नहीं कराया जायेगा। श्रमिकों के लिए अस्थाई झोपड़ी लाइसेंस की भूमि पर बनाने हेतु विश्वविद्यालय फार्म प्रशासन से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। लाइसेंस अवधि समाप्त होने के बाद अस्थाई झोपड़ियों आदि को ध्वस्त करना होगा।

27. यह है कि सफल द्वितीय पक्ष को दी गई सम्पत्ति जिस स्थिति में दी जायेगी उसे अनुबन्ध समाप्ति पर, प्रक्षेत्र प्रशासन को वापस करना होगा। किसी प्रकार की क्षति होने पर उसकी प्रतिपूर्ति लाइसेंसी से की जायेगी।

28. यह है कि सफल द्वितीय पक्ष को दिनांक 30.09.2021 के पश्चात् फार्म द्वारा दिए गए बागों में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा इसके पूर्व ही उसे अपनी फसल, उपकरण इत्यादि फार्म से उठा लेने होंगे और यदि नहीं उठाये जाते हैं तो इन पर फार्म प्रशासन का अधिकार हो जायेगा।

29. यह है कि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि कार्य हेतु प्रथम पक्ष को निर्गत लाइसेंस किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति के नाम अनुवांशिकता एवं किसी रिश्तेदारी के आधार पर हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।

30. यह है कि सफल द्वितीय पक्ष द्वारा लाइसेंस पर दी गयी व अनुबन्ध में दर्शायी गयी भूमि अथवा फार्म की किसी भी भूमि अथवा उसे किसी भाग पर अपने स्वामित्व, कब्जा, आदि का दावा किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

क्रमशः.....4

31. यह है कि उपलब्धता के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लाइसेंसी के अनुरोध पर विद्युत कनेक्शन हेतु निर्धारित सुरक्षा धनराशि जमा करनी होगी एवं विद्युत शुल्क के देयकों का भुगतान विद्युत विभाग में जमा करना होगा। लाइसेंसी के आवेदन पर मुख्य महाप्रबन्धक फार्म की संस्तुति के अनुसार आवश्यक विद्युत सुरक्षा धनराशि जमा करने के बाद विद्युत विभाग द्वारा विद्युत कनेक्शन दिया जा सकेगा। जमा विद्युत सुरक्षा धनराशि लाइसेंस अवधि समाप्ति पर विद्युत विभाग पंतनगर से अदेयता प्रमाणपत्र प्राप्त करने एवं सम्बन्धित सहायक निदेशक कृषि कार्य द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने पर ही वापसी की जायेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन किसी भी प्रकार से विद्युत कनेक्शन देने हेतु बाध्य नहीं होगा।

32. यह है कि व्यापार कर स्टाम्प ड्यूटी अथवा अन्य किसी प्रकार का टैक्स जो नियमानुसार देय होगा तो वह द्वितीय पक्ष द्वारा स्वयं वहन करना होगा।

33. यह है कि सफल द्वितीय पक्ष एवं उसके अधीनस्थ कर्मियों द्वारा विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक के साथ किये गये अनुबन्ध की समस्त शर्तों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा। अनुबन्ध की अवधि में किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा बदलाव की दशा में सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार धरोहर राशि एवं अन्य जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा लाइसेंस निरस्त करते हुए कृषि कार्य की जाने वाली भूमि को विश्वविद्यालय फार्म द्वारा वापस ले लिया जायेगा।

34. यह है कि सफल द्वितीय पक्ष द्वारा निविदा की वैधता समय के दौरान कोई शर्त भंग की जाती है अथवा बदलाव किया जाता हैं तो "जी एफ आर के 273 नियम के नोट 2 (3)" के अनुसार निविदा के साथ जमा धरोहर धनराशि जब्त की जायेगी तथा किया गया अनुबन्ध निरस्त कर भूमि वापस ले ली जायेगी।

35. यह है कि लाइसेंस पर दी गयी भूमि के संबंध में निष्पादित अनुबन्ध के आधार पर भविष्य में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निस्तारण एकल पंचाट के रूप में कुलपति, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर जिला उधमसिंहनगर अथवा उनके द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। एकल पंचाट का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य एवं बाध्य होगा।

36. यह है कि लाइसेंस पर दी गयी भूमि के संबंध में अनुबन्ध अथवा अन्य किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में सुनवाई का क्षेत्राधिकार, ऊधम सिंह नगर जनपद में निहित होगा।

37. यह है कि लाइसेंस पर दी गयी भूमि के द्वितीय पक्ष को दी जाने वाली भूमि में सम्बन्धित खण्ड अधीक्षक द्वारा तैयार की गयी इन्वेन्ट्री की सूची यथा उपलब्ध पेड़, सिचांई के साधन, पम्प, विद्युत पोल लाइने एवं अन्य उपकरण आदि को लाइसेंस शुल्कदाता के सुपुर्द करना होगा जिसकी सुरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व लाइसेंस शुल्कदाता का होगा एवं ठेका अनुबन्ध की समाप्ति पर लाइसेंस शुल्कदाता को इन्वेन्ट्री की सूची के अनुरूप सभी पेड़ एवं उपकरण आदि वि0वि0 फार्म को वापस करना होगा अन्यथा की स्थिति में होने वाली क्षतिपूर्ति लाइसेंस शुल्कदाता से वसूल की जायेगें।

38. उपरोक्त वर्णित शर्तों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जायेगा।

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पिता का नाम ....

ग्राम एवं पो0 ....

तह0 .... जनपद ....

पिन .... दूरभाष ....

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी शर्तें (क्रमशः 01 से 38 तक) पढ़ ली गयी है तथा वह मान्य हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

11/02/21

मुख्य महाप्रबन्धक, (फार्म)
निविदा प्रपत्र निर्गत करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर